मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 30.03.2012 को बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को वित्तीय सहायता के संबंध में बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : सूची संलग्न।

1. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग ने बताया कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की नाजुक वित्तीय स्थिति के आलोक में दिनांक 10.08.2011 को तदेन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया था:–

   (क) घाटे की भरपाई हेतु बोर्ड को अतिरिक्त अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाय।

   (ख) सितम्बर, 2011 से अतिरिक्त 300 मेगावाट विद्युत क्रय किया जाना है और इसमें होनेवाले वित्तीय हानि की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाय।

   (ग) बोर्ड द्वारा राजस्व संग्रह बढ़ाकर 200 करोड़ रूपये प्रतिमाह किया जाना है।

   निर्णयोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि में प्रतिमाह रू0 180 करोड़ अनुदान स्वरूप बोर्ड को देने का निर्णय लिया गया जो सीधे एन0टी0पी0सी0 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया जा रहा है। साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा क्रय में हो रही हानि के भरपाई हेतु रू0 510 करोड़ बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2011–12 में दिया गया है ।

2. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग ने बताया कि 2012–13 के बजट में रू0 180 करोड़ प्रतिमाह के हिसाब से रू0 2160 करोड़ का उपबंध बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को अनुदान के रूप में देने हेतु किया गया है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को रू0 180 करोड़ प्रतिमाह अनुदान स्वरूप जैसे पूर्व में दिया गया है उसी के अनुरूप देने हेतु तथा 500 मेगावाट मार्च, 2012 से अगस्त, 2012 तक एवं 200 मेगावाट सितम्बर 2012 से मार्च 2013 तक अतिरिक्त बिजली क्रय करने के कारण बोर्ड को होने वाली 895.50 करोड़ की वित्तीय हानि, उसके भुगतान करने पर भी निर्णय लिया जाना है।

3. प्रधान सचिव, वित्त ने बताया की रिसोर्स गैप रू0 90 करोड़ से रू0 180 करोड़ प्रतिमाह करने के लिए सरकार का कोई स्पष्ट निर्णय प्राप्त नहीं है। अतः इस बारे में सर्वप्रथम निर्णय लिया जाना है ।

4. अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने बोर्ड की खराब वित्तीय स्थिति के बारे में विस्तार से बताया और यह बताया कि वर्तमान में बोर्ड को ऊर्जा क्रय के रूप में प्रतिमाह रू0 308 करोड़, ओ0 एण्ड एम0 तथा स्थापना आदि के मद में रू0 92 करोड़ एवं वित्तीय संस्थाओं / बैंकों से लिए गए ऋण की भरपाई हेतु रू0 53 करोड़ का भुगतान करना पड़ रहा है, जिसके कारण प्रतिमाह रू0 453 करोड़ का खर्च बोर्ड को हो रहा है। इसके अलावा 500 मेगावाट का ऊर्जा क्रय मार्च, 2012 से करने के कारण प्रतिमाह लगभग रू0 150 करोड़ का अतिरिक्त व्यय बोर्ड को वहन करना है, जिससे इसका मासिक खर्च बढ़कर रू0 603 करोड़ हो गया है। वर्तमान में पिछले छः माह की औसत राजस्व वसूली रू0 230 करोड़ है। इस तरह बोर्ड को रू0 373 करोड़ की प्रतिमाह हानि हो रही है। राशि की अनुपलब्धता के कारण बोर्ड ऊर्जा क्रय की राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। बोर्ड पर ऊर्जा विपत्र का कुल बकाया सम्प्रति, बढ़कर 870.01 करोड़ रुपये हो गया है जिसमें पूर्व में योजना मद से भुगतान की गई राशि 128.71 करोड़ रुपये भी सम्मिलित है।

   यह भी बताया गया है कि बी0ई0आर0सी0 के द्वारा निर्धारित वर्त्तमान टैरिफ एवं उपभोक्ताओं के मिश्रण को ध्यान में रखते हुए बोर्ड अधिकतम रू0 255 करोड़ प्रतिमाह की वसूली ही कर सकता है और बोर्ड द्वारा वसूली को बढ़ाने के लिए महत्तम प्रयास किया जा रहा है।

5. ऊर्जा विपत्र के भुगतान हेतु विभिन्न बैंकों से ऋण/ओवर ड्राफ्ट के मद में बोर्ड द्वारा रू0 2300 करोड़ लिया जा चुका है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा यह बताया गया कि बैंको से लगातार कर्ज लिए जाने के कारण बैंकों ने बोर्ड को ऋण देने में असर्मथता व्यक्त की है। अतः बोर्ड को हो रही अतिरिक्त वित्तीय हानि की भरपाई सरकार द्वारा सब्सिडी/रिसोर्स गैप के रूप में की जानी है।

6. प्रधान सचिव, वित्त ने बताया कि बोर्ड द्वारा श्रेणीवार उपभोक्ताओं का आकलन करते हुए सब्सिडी की राशि को Quantify किया जाना है ताकि सरकार यह निर्णय ले पाए कि किस श्रेणी के उपभोक्ता को कितनी सब्सिडी दी जानी है।

इसपर प्रधान सचिव, ऊर्जा ने बताया कि वर्तमान स्थिति में unmetered उपभोक्ताओं की संख्या काफी है और जबतक सभी उपभोक्ताओं का मीटरीकरण नहीं हो जाता है तबतक इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सभी उपभोक्ताओं के मीटरीकरण का लक्ष्य मार्च, 2013 दिया गया है।

7. प्रधान सचिव, वित्त द्वारा यह बताया गया कि बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को subsidised दर पर बिजली देने के कारण हो रहे घाटे का Rough Estimate वर्त्तमान में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत किया जाय तथा ऊर्जा विभाग द्वारा रिसोर्स गैप को रू0 90 करोड प्रतिमाह से बढ़ाने एवं अतिरिक्त ऊर्जा क्रय से होनेवाले घाटे की भरपाई हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

8. समीक्षोपरान्त, मुख्य सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि बोर्ड उपलब्ध ऑकड़ों के आधार पर उपभोक्ता श्रेणीवार घाटे की राशि का रफ आकलन कर ऊर्जा विभाग को अवगत कराये। चूँकि उपभोक्ता श्रेणीवार घाटे की राशि का रफ आकलन करने में 4–5 महीने का विलंब हो सकता है, इस दौरान बोर्ड के खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर अगस्त, 2012 तक जितनी भी राशि के अनुदान की आवश्यकता बोर्ड को होगी उसका भुगतान वर्त्तमान वित्तीय उपबंध से किया जाए। ऊर्जा विभाग तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत क्रय मद में सहायता संबंधी राशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में बैठक।

दिनांक : 30/03/2012

उपस्थिति :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री नवीन कुमार	मुख्य सचिव	
2	श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	30/3
3	श्री अजय नायक	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग	30/3
4	श्री मिहिर कुमार सिंह	सचिव (व्यय) वित्त विभाग	
5	श्री पी0 के0 राय	अध्यक्ष, बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
6	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	सदस्य (वित्त एवं राजस्व), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
7	श्री विजय कुमार	वित्त नियंत्रक (व्यय), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	29/3/12
8			
9			
10			
11			
12			
13			

127

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02 / बोर्ड बैठक–24 / 2009 (खंड–I) 1575 पटना, दिनांक 9/4/12

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/12
सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र02 / बोर्ड बैठक–24 / 2009 (खंड–I) 1575 पटना, दिनांक 9/4/12

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/12
सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।